



जनपद हमीरपुर

थाना- जरिया

दिनांक 21.08.2026

थाना जरिया पुलिस द्वारा अ0सं0- 1040/2020 धारा 135 विद्युत अधिनियम से सम्बन्धित वारंटी अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।

पुलिस कार्यवाही-

आज दिनांक 21.08.2026 को थाना जरिया पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से जारी वारंट के अनुपालन में अ0सं0- 1040/2020 धारा 135 विद्युत अधिनियम से सम्बन्धित वारंटी अभियुक्त बाबूलाल पुत्र चम्पा निवासी मुहल्ला शास्त्री नगर गोहाण्ड थाना जरिया ,जनपद हमीरपुर को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

बाबूलाल पुत्र चम्पा (उम्र करीब 47 वर्ष) निवासी मुहल्ला शास्त्री नगर गोहाण्ड थाना जरिया ,जनपद हमीरपुर।

गिरफ्तारी का स्थान-

शास्त्री नगर गोहाण्ड थाना जरिया ,जनपद हमीरपुर।

पुलिस टीम का विवरण

- 1.उ0नि0 दिशांत खोखर
- 2.रि0का0 अजय सोनकर

